

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्ताक 1941 का नियम 129)

जुद्धियोग मस्ती

बनाम


अंचल अधिकारी, सोनाहातु

आदेश पत्रक ता०..... से ..... तक

जिला-राँची नागान्तरण अपील सं० — 07/2017-सन् 18

केस का प्रकार.....

पृष्ठ संख्या—.....

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
23-03-2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गयी। पुकार पर अनुपस्थित।</p> <p>अभिलेखबद्ध अंचल अधिकारी, सोनाहातु (राँची) के कार्यालय पत्रांक-178(ii) दिनांक-21/06/2018 द्वारा प्राप्त निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा संख्या-156 R27/2015-2016/ सोनाहातु का मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि के विक्रेता कुर्मी जाति के हैं, भूमि बिक्री की अनुमति प्राप्त नहीं है। अतः इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>उपसमाहर्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक-217(ii) दिनांक-31/01/2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25/01/2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निदेशों तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कथित भूमि का विक्रेता कुर्मी जाति है जो से C.N.T. Act अच्छादित है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 1 (b) का उल्लंघन हुआ है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>भूमि सुधार उपसमाहर्ता,</b>  <b>बुण्डू(राँची)।</b> </p>	